

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैंडर रिव्यू) अलेसे । / 71

दिनांक :- 16/6/2025

आदेश संख्या : 11/2025-26

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा प्रमुख शासन सचिव राजस्व (ग्रुप-1) विभाग के पत्र क्रमांक प.9(21) राज-1/2024 दिनांक 29/12/2024 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की कैंडर स्ट्रेन्थ में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार कल्याण) विभाग की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	कार्यालय का नाम	संशोधन पूर्व पद			संशोधन पश्चात् पद		
		स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार
1	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी केकड़ी अजमेर (8001631)	0	0	1	0	0	0
2	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दूदू जयपुर (8001629)	0	0	1	0	0	0
3	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सांचौर जालौर (8001636)	0	0	1	0	0	0
4	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाहपुरा भीलवाड़ा (8001637)	0	0	1	0	0	0
5	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अनूपगढ़ श्रीगंगानगर (8001624)	0	0	1	0	0	0
6	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गंगापुरसिटी सवाई माधोपुर (8001630)	0	0	1	0	0	0
7	अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नीमकाथाना सीकर (8001634)	0	0	1	0	0	0
		0	0	7	0	0	0

उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैंडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

विवरण	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	योग
वर्तमान कैंडर स्ट्रेन्थ	2634	3923	5896	12453
नवीन कैंडर स्ट्रेन्थ	2634	3923	5889	12446

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त
शासन सचिव

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे । / 7/

दिनांक :- 10/6/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. निजी सचिव, निदेशक ।
5. पदस्थापन सहायक अलेसे I / II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु


(के.जी.गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)